भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *223

उत्तर देने की तारीख: 16.12.2025

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

***223. श्री मनीष जायसवाल:**
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का विशेषकर राजस्थान और पश्चिमी बंगाल राज्यों में वर्ष-वार, योजना-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेषकर वृद्धाश्रमों, सहायक उपकरण वितरण शिविरों और वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के दायरे का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं" के संबंध में श्री मनीष जायसवाल और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *223, जिसका उत्तर दिनांक 16.12.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क)

I. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देशभर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए **अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)** नामक एक व्यापक योजना कार्यान्वित कर रहा है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों सहित देश में कार्यान्वित की जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना के सभी घटकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. **आईपीएसआरसी (एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम)** - वरिष्ठ नागरिक गृहों, सतत देखभाल गृहों, मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों और फिजियोथेरेपी क्लीनिकों के रखरखाव के लिए संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। इस विभाग द्वारा कुल मिलाकर 706 वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहयोग एवं समर्थन दिया गया है, जिनमें राजस्थान में 23 और पश्चिम बंगाल में 30 वरिष्ठ नागरिक गृह शामिल हैं।

ii. **एसएपीएसआरसी (वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य-योजना)** – मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनकी कार्य-योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियां जारी करता है।

iii. **आरवीवाई (राष्ट्रीय वयोश्री योजना)** - इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों या ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता उपकरण और जीवन सहायक यंत्र उपलब्ध कराना है जिनकी पारिवारिक आय 15,000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं हो। यह योजना वर्ष 2017 से लागू की जा रही है।

iv. **एल्डरलाइन-** राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (14567) का उद्देश्य केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जा रहे अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना और देशभर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच उपलब्ध कराना है। एल्डरलाइन पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचालन में नहीं है।

v. **वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण –** विभाग वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करता है। यह योजना घटक वित्त वर्ष 2023-24 से परिचालन में है।

vi. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल** - पहल का उद्देश्य ऐसी जानकारी (ज्ञान) का संचय करने में वृद्धजनों को शामिल करना है जो समग्र रूप से समाज के लिए

उपयोगी हो सकता है। इस घटक के अंतर्गत राज्य-वार निधियां जारी नहीं की जाती हैं।

vii. **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (सेज)** – इसका मुख्य उद्देश्य आम तौर पर पेश आने वाली समस्याओं के लिए असाधारण और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है, 09 नवाचारी स्टार्ट-अप की पहचान की गई है और उन्हें वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

II. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) का विस्तार किया ताकि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का नि:शुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जा सके, भले ही उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसमें पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है क्योंकि वहां एबी पीएम-जेएवाई नहीं लागू की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्धजनों की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए वर्ष 2010-11 में "राष्ट्रीय वृद्धजन हैल्थकेयर कार्यक्रम (एनपीएचसीई)" भी शुरू किया है।

III. ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन करता है जिसके अंतर्गत पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत एक घटक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को 200/- रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त योजनाओं में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां और उनके घटक के विवरण **संलग्नक-I** पर दिए गए हैं।

(ख):

I. योजनाओं के स्कोप का विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया राज्य सरकार से मिले प्रस्ताव पर निर्भर करती है। सहायक साधनों और जीवन सहायक यन्त्रों के वितरण के लिए देश भर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केन्द्र खोले गए हैं जहां पात्र वरिष्ठ नागरिक (गरीबी रेखा से नीचे के या ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके परिवार की आय 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक न हो) जाकर जरूरी सहायक साधन और जीवन सहायक यन्त्र प्राप्त कर सकते हैं।

II. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने झारखंड राज्य में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 11,54,024 व्यक्तिगत वरिष्ठ नागरिकों (70+ वर्ष की आयु) का अनुमान लगाया है।)

इसके अलावा, एनपीसीएचई के तहत देश भर में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

झारखंड राज्य में विशेषकर हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में उपर्युक्त योजनाओं और उनके घटकों के क्रियान्वयन का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

संलग्नक-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों सहित जारी की गई निधियां

क. अटल वयो अभ्युदय योजना

i. वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कुल	राजस्थान	पश्चिम बंगाल
2022-23	72.31	1.21	3.32
2023-24	118.95	3.55	7.20
2024-25	125.42	1.94	3.95

ii. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य-योजना (एसएपीएसआरसी)

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कुल	राजस्थान	पश्चिम बंगाल
2022-23	11.74	-	-
2023-24	21.19	-	-
2024-25	16.91	0.26	2.81

iii. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कुल	राजस्थान	पश्चिम बंगाल
2022-23	88.84	1.47	0.03
2023-24	59.32	2.71	1.21
2024-25	208.29	5.51	1.04

iv. एल्डरलाइन

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कुल	राजस्थान
2022-23	33.49	-
2023-24	9.62	0.44
2024-25	9.23	0.39

v. वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कुल	राजस्थान	पश्चिम बंगाल
2024-25	45.82	5.77	-

ख. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई)

31 अक्टूबर 2025 तक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना श्रेणी के तहत 89.51 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। जारी की गई निधियां इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधियां
2024-25	56.62
2025-26	292.92

ग. बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) के लिए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन और व्यय निम्नानुसार है: -

(लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	राजस्थान		पश्चिम बंगाल	
	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
2022-23	31.40	16.81	274.36	147.57
2023-24	31.40	20.31	229.05	145.67
2024-25	3380.00	62.73	118.92	180.41

घ. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)

इस घटक के तहत जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कुल	राजस्थान	पश्चिम बंगाल
2022-23	6827.55	443.91	381.44
2023-24	6778.50	211.41	567.02
2024-25	6843.95	399.86	460.52

संलग्नक-II

झारखंड राज्य में विशेष रूप से हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में योजनाओं और उनके घटकों के कार्यान्वयन का ब्यौरा विवरण में दिया गया है

क. <u>अटल वयो अभ्युदय योजना</u>

i. **आईपीएसआरसी:** वरिष्ठ नागरिक गृहों, लाभार्थियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

विवरण	**वरिष्ठ नागरिक गृहों की संख्या**	**लाभार्थियों की संख्या**	**पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां**
झारखंड	15	475	2.27
हजारीबाग	1	25	-
रामगढ़	-	-	-

ii. **आरवीवाई:** पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को वितरित सहायक साधनों और जीवन सहायक यंत्रों का विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

विवरण	**सेवा प्राप्त वरिष्ठ नागरिकों की संख्या**	**वितरित उपकरणों की संख्या**	**प्रयुक्त निधि**
झारखंड	4762	23,185	4.7
हजारीबाग	15	78	0.01
रामगढ़	1103	5,351	1.23

iii. **एल्डरलाइन:** झारखंड राज्य में 2021 से एल्डरलाइन पर प्राप्त कॉलों की कुल संख्या 5,871 है, जिसमें 1,343 कॉलें कुल कार्रवाई-योग्य कॉल थीं।

iv. **वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण:** इस घटक के तहत झारखंड राज्य में कुल 30 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

v. बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

झारखंड राज्य के हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में प्रदान की गई इन सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है:

एनपीएचसीई संकेतक	2024-25 (अप्रैल'24- मार्च'25)		2025-26 (अप्रैल'25 से नवंबर'25)	
	हजारीबाग	रामगढ़	हजारीबाग	रामगढ़
वृद्धजनों की संख्या (=/> 60 वर्ष की आयु) ने वृद्धावस्था ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाया	7291	3857	41059	20376
वृद्धावस्था आईपीडी सेवाओं का लाभ उठाने वाले वृद्धजनों की संख्या (=/>60 वर्ष की आयु)	476	360	824	506

vi. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)

झारखंड राज्य में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना घटक के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 8,50,503 है।

*****